(32) (32)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1248/पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 28.01.2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण क्रमांक 22/अपील/2015-16.

---

1. चांदबेगम पति शब्बीर खान
   निवासी ग्राम अलीनगर, तहसील बनेड़ा,
   जिला भिलवाड़ा, राजस्थान बशीर बेगम पति मोहम्मद खान
   निवासी ग्राम अलीनगर, तहसील बनेड़ा,
   जिला भिलवाड़ा, राजस्थान .....आवेदकगण

विरूद्ध

अजीज एहमद शेख पिता मोहम्मद इब्राहीम शेख
निवासी ग्राम चिताखेड़ा, तह. जीरन, जिला नीमच .....अनावेदक

श्री कैलाश जोशी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री बाबूलाल मरोठिया, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/9/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित दिनांक 28.01.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण द्वारा सहायक बंदोबस्त अधिकारी, नीमच के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि आवेदकगण के भाई इरफानउद्दीन के नाम चीताखेड़ा में भूमि सर्वे क्रमांक 650 रकबा 1.317 हैक्टेयर सर्वे क्रमांक 659 रकबा 1.244 हैक्टेयर तथा सर्वे क्रमांक 669 रकबा 0.658 हैक्टेयर कुल किता 3.219 हैक्टेयर स्थित थी, जिसका वसीयतनामा दिनांक 10.11.1996 को आवेदकगण के हित में किया गया है, जिसके आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर दिनांक 12.03.1997 से आवेदकगण का नामांतरण स्वीकार किया गया है, किन्तु आदेश दिनांक 12.03.1997 का पालन पटवारी द्वारा अभिलेख में नहीं किया गया है। अत: प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का नाम इन्द्राज किया जावे। अधीक्षक भू-अभिलेख जिला नीमच द्वारा प्रकरण क्रमांक1/अ-6-अ/12-13 में पारित आदेश दिनांक 25.04.2015 से आवेदकगण के आवेदन पत्र का निराकरण नहीं किया अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला नीमच के आदेश के विरूद्ध । आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, नीमच के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 30.09.2015 से प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का नामांतरण स्वीकार किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 28.01.2017 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार करते हुए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 30.09.2015 निरस्त किया गया। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) संहिता की धारा 110 की उपधारा 3 के अनुसार यह आवश्यक है कि नामांतरण में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों को व्यक्तिश: सूचना की जावे। नामांतरण नियमों के नियम 27 ऐसी सूचना देना आवश्यक उपबंधित करते हैं। यह सूचना उन सूचनाओं के अतिरिक्त हैं जो संबंधित ग्राम में डोंडी पीटवाकर अथवा चौपाल पर चिपकवाकर व सार्वजनिक रूप से दी जावेगी। न्याय दृष्टांत कलपराम विरूद्ध बिंदुमति 1991 रा.नि. 41, कस्तुरीबाई विरूद्ध केशरबाई 1991 रा.नि. 23 सहित अनेकों न्याय दृष्टांतों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उक्त उपबंध अवश्य पालनीय है और इनका पालन न किये जाने पर नामांतरण की कार्यवाही नितांत अवैध मानी जावेगी। आलोच्य पंजी में आदेश दिनांक 19.02.1997 में मात्र

इतना लिखा गया है कि वि.प्रसा.आ.अप्राप्त, किन्तु पंजी में कोई विज्ञप्ति संलग्न नहीं है न ही यह उल्लेख है कि विज्ञप्ति किस दिनांक को किन-किन स्थानों पर प्रकाशित की गई व आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु क्या समयावधि दी गई थी। अत: विधिक अनिवार्यताओं के अभाव में उक्त नामांतरण पंजी पर की गई सम्पूर्ण कार्यवाही संदिग्ध व अविधिपूर्ण हो जाती हैं। इस संबंध में 1991 रा.नि. 250, 1988 रा.नि. 168 खण्डपीठ, 1997 रा.नि. 474 (खण्ड न्यायपीठ) तथा 1989 रा.नि. 192 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं।

(2) अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह निर्विवादित तथ्य है कि प्रश्नाधीन भूमिमृतक इरफानउद्दीन के नाम भूमि स्वामी स्वत्व के नाम दर्ज थी। इरफानउद्दीन की मृत्यु 24.12.1996 को हो चुकी है। अनावेदक द्वारा पंजी क्र. 1 में पारित आदेश दिनांक 19.02.1997 के अनुसार नामांतरण आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश सहायक बंदोबस्त अधिकारी के द्वारा पटवारी मौजा चिताखेड़ा को दिये गये आदेश दिनांक 18.0397 द्वारा अस्पष्ट तथ्यों को छिपा कर व न्यायालय के साथ कपट किया गया तथा नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध होने के कारण अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए निरस्त किया जाता है। इस बावत् जानकारी पटवारी मौजा को प्राप्त होने के पश्चात् भी उनके द्वारा पंजी क्रमांक 1/1996-97 में पारित आदेश 19.02.1997 को निरस्त नहीं कर आदेश की अवहेलना की है एवं आवेदक के नाम से जो आदेश प्रकरण क्रमांक 8/अ-6/1996-97 में दिनांक 12.03.1997 को पारित किया गया, उसका अमल जानबूझकर नहीं किये जाने के कारण दिया गया आदेश विधि एवं विधान के अनुरूप नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(3) अनावेदक को दिया गया आदेश स्वत्व के आधार पर एवं न्यायागमन तथा हक के आधार पर नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने 19.02.1997 के आदेश की अपील नहीं होने के कारण उसे अंतिम आदेश मानने में महा वैधानिक त्रुटि की है, जबकि उक्त आदेश अनुविभागीय अधिकारी के अनुसार एवं पूर्व में सहायक बंदोबस्त अधिकारी के आदेश अनुसार निरस्त हो चुका है।

(4) अधीनस्थ न्यायालय अधीक्षक भू-प्रबंधन जिला नीमच के समक्ष भी प्रस्तुत आवेदन पत्र के अनुसार प्रकरण क्र. 8/अ-6/97-98 के मूल आदेश 12.03.1997 के क्रियान्वयन नहीं किये जाने के संबंध में दिया गया था। उक्त आदेश को किसी भी न्यायालय ने निरस्त नहीं किया है। ऐसी दशा में उक्त आदेश यथास्थिर होकर उक्त आदेश का पालन किया जाना आवश्यक

होकर अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त ने भी उक्त आदेश को निरस्त नहीं किया है। इस कारण से अपर आयुक्त का आदेश निरस्त कियें जाने योग्य है।

(5) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत समस्त तथ्यों पर विचार नहीं कर आदेश पारित किया है, वह निरस्त किये जाने योग्य है। प्रकरण में प्रस्तुत आदेश के क्रियान्वयन को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। सहायक बंदोबस्त अधिकारी के आदेश में अनावेदक उपसिथत होकर उक्त प्रकरण आवेदकगण के हित में विनिश्चित हुआ है इसी कारण से अनावेदक 12.03.1997 के आदेश के लिए चुप है, क्योंकि अनावेदक को कोई हित अधिकार प्राप्त नहीं है।

(6) अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि पटवारी चीताखेड़ा को दिनांक 17.03.1997 से नामांतरण पंजी क्रमांक 1/96-97 में पारित आदेश दिनांक 19.02.1997 में तथ्यों को छिपाने व कपट किये जाने के कारण आदेश निरस्त किया जाना दर्शित किया गया है। कोई विरोधाभाष नहीं होने पर भी अपील स्वीकार करने में महान वैधानिक त्रुटि की गई है।

(7) न्यायालय के प्रकरण में प्रकरण क्र. 8/अ-6/97-98 जो कि तत्कालीन अविभाजित मंदसौर जिले व तत्समय प्रचलित बंदोबस्त से संबंधित था, को शोध करने के लिए अधीक्षक भू-अभिलेख के द्वारा पत्र क्रमांक 356/भू-अभि./पे.नि./2013, दिनांक 30.03.2013 से प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, जिला नीमच तथा पत्र क्रमांक 1625/भू-अभि./पे.नि./2014, दिनांक 17.09.2014 से जिला अभिलेखागार, जिला मंदसौर पत्र जारी किये गये हैं, किन्तु उक्त प्रकरण के अस्तित्व तथा उपलब्धता के संबंध में कोई पुष्टिकारक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है। इस पर भी प्रकरण में प्रस्तुत प्रमाणित प्रतिलिपि की फोटोकॉपी प्रस्तुत की गई है, जिन्हें नहीं मानने में अधीनस्थ न्यायालय ने महान वैधानिक त्रुटि की है।

(8) न्याय का मूलभूत सिद्धांत है कि न्यायालय के समक्ष जब भी सत्य प्रकट हो उस पर विचार किया जाना चाहिए। लगभग मृतक इरफानउद्दीन की वैध वारिस एवं इरफानउद्दीन के द्वारा आवेदकगण के हित में लिखी गई वसीयत के अनुसार हक स्वत्व के आधार पर नामांतरण आदेश दिनांक 12.03.1997 पारित किया गया है। जब अनावेदक के पास कोई स्वत्व नहीं है। ऐसी स्थिति में जो नामांतरण आदेश 12.03.1997 में पारित किया गया है, वह विधि अनुसार होकर उसे पालन नहीं करवाकर दिया गया आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) आवेदकगण द्वारा प्रकरण क्र. 8/अ56/1996-97 में पारित आदेश दिनांक 12.03.1997 को आधार बनाकर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र अधीक्षक भू-प्रबंधक जिला नीमच के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था तथा आवेदन पत्र के साथ आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गई थी, जो कि विधि अनुसार प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अधीक्षक भू-प्रबंधक, नीमच द्वारा आवेदक चांद बेगम को प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये, किन्तु आवेदक द्वारा आदेश एवं निर्देशों का पालन नहीं किया गया एवं उसको दिये गये अवसरों का लाभ नहीं लिया। इस कारण अधीक्षक भू-अभिलेख जिला नीमच द्वारा अपने आदेश दिनांक 25.04.2015 में यह उल्लेखित किया कि आलोच्य आदेश की सत्य प्रतिलिपि एवं प्रकरण क्रमांक 8/अ-6/1996-97 का मूल अभिलेख संलग्न होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे, जो कि विधि सम्मत होकर विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप है। उक्त आदेश के पालन में प्रकरण का सही एवं विधिसंगत गुण-दोष के आधार पर निर्णय किया जाना उचित है, किन्तु अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त वैधानिक तथ्यों के विपरीत जाकर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर आलोच्य आदेश पारित किये हैं जो कि प्रथम दृष्टि में ही निरस्त किये जाने योग्य है। अतिरिक्त कलेक्टर, नीमच के न्यायालय में आदेश दिनांक 12.07.2018 के आदेश के विरूद्ध आदेश प्रदान किया, जो विधि विरूद्ध होने से अतिरिक्त आयुक्त द्वारा निरस्त किया गया है, जो कि विधिवत है।

(2) अनावेदक के नाम का नामांतरण दिनांक 19.02.1997 को स्वीकृत किया गया इस बात की जानकारी आवेदक को वर्ष 1997 में ही हो चुकी थी। उसके पश्चात भी अनावेदक के नामांतरण आदेश के विरूद्ध आज दिनांक तक कोई अपील, निगरानी प्रस्तुत नहीं की गई। ऐसी स्थिति में अनावेदक अजीज एहमद शेख के नाम का नामांतरण राजस्व अभिलेख में किये जाने का आदेश प्रभावशील होकर अंतिम हो चुका है।

(3) अनावेदक का नामांतरण उपरोक्त कृषि भूमि पर दिनांक 19.02.1997 से बहैसियत भूमि स्वामी के तौर पर दर्ज है तथा अनावेदक ही उक्त कृषि भूमि पर इरफानुद्दीन के जीवनकाल

से ही कृषि कार्य करता चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी कृषि कार्य कर रहा है। अनावेदक की भूमि सर्वे नंबर 650 रकबा 1.317 हैक्टेयर सर्वे क्रमांक 656 रकबा 1.244 हैक्टेयर सर्वे नंबर 669 रकबा 0.658 हैक्टेयर कुल किता तीन कुल रकबा 3.219 हैक्टेयर भूमि का रेकार्डेड भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी है तथा उक्त भूमि पर राजस्व अभिलेखों में अनावेदक का नाम अंकित है। राजस्व अभिलेख खसरा पंचसाला वर्ष 2012-17 तक की प्रमाणित प्रतिलिपि लिखतम की सूची के साथ संलग्न है। ऐसी स्थिति में आवेदक की मौजूदा अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अभिलेख जो प्रस्तुत किया गया है, जिससे दर्शित है कि अनावेदक ही उपरोक्त कृषि भूमि का आज भी रेकार्डेड भूमि स्वामी है, जो कि प्रमाणित राजस्व अभिलेख में दर्शित है, जिसमें शंका करने की कोई गुंजाईश नहीं है और न ही अविश्वास करने का कोई कारण है।

(4) आवेदक के हित में कोई आदेश पारित नहीं किया गया एवं न ही उसकी जानकारी अनावेदक को है। आवेदक के द्वारा आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की न ही जिस प्रकरण में आदेश पारित किया जाना अभिकथित किया गया है, उसका मूल अभिलेख तलब किया गया। ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा शंकास्पद स्थिति निर्मित कर अपना प्रकरण शंका से परे प्रमाणित नहीं किया है। मूल अभिलेख के बिना प्रकरण का गुण दोष के आधार पर निराकरण किया जाना संभव नहीं है फिर भी अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा बिना मूल अभिलेख के अवलोकन से पारित किया गया है। इसी कारण अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त द्वारा उसे निरस्त किया गया है, जो विधिवत होकर स्थिर रखे जाने योग्य है।

(5) आवेदक की ओर से अपील मेमो के आधार पर बताये गये है, उन्हें मान्य किये जाने का कोई सबल आधार नहीं है। ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी अवधि बाह्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा दिनांक 27.06.2012 से सहायक

बंदोबस्त अधिकारी, नीमच को प्रश्नाधीन भूमि पर से अनावेदक का नाम कम कर स्वयं का नाम दर्ज करने बावत् जो आवेदन प्रस्तुत किया गया, वह किस धारा एवं अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है, स्पष्ट नहीं है। साथ ही आवेदन के साथ संलग्न प्रकरण की आदेशिका दिनांक 23.04.1997 एवं 07.05.1997 की छायाप्रति के अवलोकन से भी यह स्पष्ट होता है कि आवेदकगण द्वारा दिनांक 07.05.1997 तक कोई नामांतरण आदेश पारित नहीं हुआ है, जबकि आवेदकगण द्वारा दिनांक 12.03.1997 को नामांतरण आदेश होना दर्शाया है, जो कि संदेहास्पद प्रतीत होता है। प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक का नामांतरण दिनांक 19.02.1997 को स्वीकृत किया गया है, जिसकी प्रति भी प्रकरण में संलग्न है, जबकि आवेदकगण द्वारा दिनांक 12.03.1997 को वसीयत के आधार पर नामांतरण होना बताया गया है, किन्तु आदेश दिनांक 12.03.1997 एवं वसीयतनामे की प्रति भी प्रस्तुत नहीं की गई है। चूंकि प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक का नामांतरण दिनांक 19.02.1997 को स्वीकृत हुआ है और उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, जबकि उक्त आदेश अंतिम होकर अपीलीय योग्य था। इससे स्पष्ट स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा प्रकरण में विधिनुरूप कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई ध्यान न देकर आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है। अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आलोच्य आदेश को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। अत: अपर आयुक्त का आदेश उचित एवं वैधानिक होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.01.2017 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर